ज्ञापांक 368 /सी०आर०,

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय ।
लखीसराय, दिनांक- 01/02/13

प्रतिवेदन-5

वि०प्र०सं०-486/11
लखीसराय थाना कांड सं0-522/11, दिनांक-8.12.11, धारा-302/34/भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधि०

======

संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय की जाँच-सह-प्रगति प्रतिवेदन को इस कांड में प्रतिवेदन-5 का आधार माना जाय।

पुलिस महानिरीक्षक, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर के ज्ञापांक-1422/सी०आर० दि0-17.8.12 तद्नुसार इस कार्यालय का ज्ञापांक-2510/सी०आर०, दिनांक-28.8.12 एवं पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-312/ज० शि० को० दिनांक-30.8.12 तद्नुसार इस कार्यालय का ज्ञापांक-571/ज० शि० को, दि0-6.10.12 एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक(मानवाधिकार), बिहार, पटना के पत्रांक-477/ज० शि० को, दिनांक-27.11.12 तद्नुसार इस कार्यालय का ज्ञा0-847/ज० शि० को, दि0-10.12.12 के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा जाँच पड़ताल कर प्रगति प्रतिवेदन ज्ञापांक-486/11, दि0-4.1.13 द्वारा समर्पित किया गया है ।

यह कांड वादी अभिषेक कुमार उर्फ सोनू, पे0-स्व0 रामबिलास सिंह, सा0 बभनगांवा, थाना व जिला लखीसराय के फर्दबयान के आधार पर प्रा0 के नामजद अभि0 1-संजीव पाण्डेय, 2-राकेश सिंह उर्फ बमबम सिंह, 3-दिलखुश सिंह एवं दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध वादी के पिता आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता रामबिलास सिंह की हत्या गोली मार कर करने के आरोप में अंकित किया गया है।

पर्यवेक्षण, प्रतिवेदन-2, 3, 4 निर्गत है जिसके अनुसार यह धारा-302/120(बी)/34/भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधि० के अन्तर्गत प्रा० के नामजद तीनों अभियुक्तों 1-बमबम सिंह उर्फ राकेश सिंह, 2-संजीव पाण्डेय, 3-दिलखुश सिंह एवं अप्रा०अभि० 4-रौशन सिंह(बमबम सिंह का भाई) 5-रौशन सिंह(बमबम सिंह के बहनोई का भाई) के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा उनसे प्रभावित व्यक्तियों का भी इस हत्या की साजिश में हाथ होने की संभावना बतलाते हुए अन्य अज्ञात के संबंध में गहन छानबीन करने का आदेश दिया गया है।

अनुसंधान के क्रम में इस कांड के प्रा०अभि० 1-संजीव पाण्डेय को गिरफ्तार कर दि0-16.12.11 को जेल भेजा गया है तथा 2-रौशन सिंह को रिमांड किया गया है। प्रा०अभि० 3-राकेश सिंह उर्फ बमबम सिंह, 4-दिलखुश सिंह के विरुद्ध कुर्की जप्ती की कार्रवाई की गई है । प्रतिवेदन-3 में दिये गये आदेश के आलोक में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा इस कांड में धारा-302/120(बी)/34/भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधि० के अन्तर्गत प्रा०अभि० 1-राकेश सिंह उर्फ बमबम सिंह, 2-दिलखुश सिंह एवं अप्रा०अभि० 3-रौशन सिंह को फरार दिखाते हुए 1-संजीव पाण्डेय, अप्रा०अभि० 2-रौशन सिंह (बमबम सिंह का भाई) के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-06/12, दि0-13.1.12 समर्पित किया जा चुका है तथा पूरक अनुसंधान जारी है

अनु०पु०पदा० ने जांच के क्रम में साक्षियों के बयान लिए हैं, जांच के क्रम में खुले एवं गुप्त रूप से प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध कागजातों के के आधार निम्नांकित तथ्य सामने आये हैं:-

1-मृत्युंजय सिंह, पे0-जनार्दन सिंह, ग्राम-बभनगांवा, ग्राम पंचायत अम्हर के कृषक सलाहकार हैं, जिसका कट्टर सहयोगी एवं समर्थक ग्राम बभनगांवा के ही रजनीश पे0-रामानुज प्रसाद सिंह एवं नीतेश सिंह, पे0-धीरज सिंह हैं। मृत्युंजय सिंह के पिता जनार्दन प्रसाद सिंह के द्वारा गांव में ही उच्च विद्यालय के निर्माण के लिए 2 एकड़ 01 डिस्मील जमीन राज्यपाल बिहार के नाम दान पत्र दि0-11.3.1977 को लिखा था परन्तु कालान्तर में उक्त जमीन को मृत्युंजय सिंह ने अपने पिता के सहयोग से इस हत्या कांड के

नामजद अभि0 दिलकुश सिंह के परिवार को केवाला द्वारा बेच दिया। इस मुद्दे को स्व0 रा बिलास सिंह ने आर.टी.आई. के तहत उजागर किया था जो मृत्युंजय सिंह एवं उनके सहयोग को नागवार लगा था।

2-मृत्युंजय सिंह के पिता जनार्दन प्रसाद के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद सं0-03/95-96 में गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से निर्गत हुआ था जो लंबित है। इसमें ट्रैक्टर की निकासी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा लखीसराय से की गई थी जिसमें मृत्युंजय सिंह बैंक में स्वयं ग्रान्टर हैं। इस मामले को भी राम बिलास सिंह ने आर.टी.आई. के तहत उजागर किया था जिसके कारण रामबिलास सिंह, मृत्युंजय सिंह एवं उनके समथकों का दुश्मन बन गये थे।

3-रजनीश कुमार ने अपने पिता एवं माता को अवैध रूप से आपदा प्रबंधन विभाग से वर्ष-2010 में सुखा राहत राशि का लाभ दिलवाया था, जिस मामला को भी रामबिलास सिंह ने आर.टी.आई. के तहत उजागर किया था जिसके कारण रजनीश कुमार का रामबिलास सिंह दुश्मन बन गये थे।

4-ग्राम पंचायत चुनाव 2011 में मृत्युंजय सिंह के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की शिकायत रामबिलास सिंह द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से किया गया था जो मृत्युंजय सिंह एवं उनके समर्थकों को नागवार लगा तथा मृत्युंजय सिंह एवं उनके समर्थों ने रामबिलास सिंह को तरह तरह की धमकी देने लगे।

5-वर्ष-2006 में रामबिलास सिंह द्वारा किये गये शिकायत के आधार पर लखीसराय थाना कांड सं0-104/06 दि0-7.3.06 धारा-419/420/467/468/471/भा0द0वि एवं 7 आवश्यक वस्तु अधि0 में मुखिया नीतेश सिंह एवं अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया था। उक्त केश में नीतेश सिंह के वकील रजनीश कुमार हैं जिस मामला को उजागर करने के कारण नीतेश सिंह, रजनीश कुमार एवं उनके अन्य समर्थकों का रामबिलास सिंह दुश्मन हो गये थे।

6-चूल रेल थाना कांड सं0-55/08, धारा-302/34/भा0द0वि0 27 श10310 में रौशन सिंह, बमबम सिंह अभियुक्त हैं जिस केश में रामबिलास सिंह द्वारा गवाही दी गई थी और इस केश में वकील रजनीश कुमार है। इस केश के संबंध में रजनीश कुमार ने रौशन सिंह को बोला था कि तुम्हारे केश में रामबिलास गवाही दिया है, तुमको हम मदद करेंगे, तुम रामबिलास की हत्या कर दो।

7-रजनीश कुमार एवं उनके सहयोगियों ने रामबिलास सिंह को समाज में नीचा दिखाने एवं चरित्र हनन करने के उद्देश्य से तथा फंसाने के लिए ममता देवी, द्वारा रामबिलास सिंह के विरुद्ध बलात्कार का केस कराया था जो लखीसराय थाना कांड सं0-485/08, दि0-31.10.08, धारा-376/भा0द0वि0 है, जो असत्य पाया गया है।

8-ग्राम पंचायत चुनाव 2011 में अम्हरा पंचायत समिति सदस्य के रूप में नीतेश सिंह की पत्नी सीमा देवी एवं बमबम सिंह की पत्नी चंचला देवी खड़ी थी और इस चुनाव में रामबिलास सिंह की जीत हुई थी, जिसमें नीतेश सिंह एवं बमबम सिंह द्वारा रामबिलास सिंह को बैठने के लिए दबाव दिया जाता था। रामबिलास सिंह के जीत जाने पर नीतेश सिंह, बमबम सिंह, रजनीश कुमार एवं उनके सहयोगियों को नागवार लगा था जिसके बाद नीतेश सिंह एवं रजनीश कुमार ने संजीव पाण्डेय को बोला कि रामबिलास सिंह की जल्द हत्या कर दो उसके एवज में 50 हजार रुपया देने की बात बोले थे।

9-ग्राम पंचायत चुनाव 2011 के बाद रामबिलास सिंह की पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु हो गई जिसमें रजनीश कुमार ने मृत्युंजय सिंह, नीतेश सिंह के सहयोग से बदले की भावना से मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों का फर्जी हस्ताक्षर करके रामबिलास सिंह को अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को गायब कराने का झूठा एवं मनगढंत आरोप लगाकर आवेदन देकर मुकदमा में फंसाने का असफल प्रयास किया गया था।

इसी सब विवाद के कारण रजनीश कुमार, मृत्युंजय सिंह, नीतेश सिंह एवं उनके अन्य समर्थकों/सहयोगियों द्वारा रामबिलास सिंह की हत्या करने की साजिश की जाने लगी जिस संबंध में दि0-15.4.2011 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय के

न्यायालय में 1-मृत्युंजय सिंह, 2-रजनीश कुमार, 3-नीतेश कुमार सिंह एवं अन्य कुल 11 लोगों के विरूद्ध सूचना पत्र सं0-374/11 दर्ज कराया गया था

अनु0पु0पदा0 ने जांच के क्रम में आये उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण, उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह पाया है कि राकेश सिंह उर्फ बमबम सिंह, दिलखुश सिंह, संजीव पाण्डेय, रौशन सिंह, नीतेश सिंह, मृत्युंजय सिंह, रजनीश कुमार सभी एक ही ग्रुप के हैं तथा उपरोक्त विवाद एवं कारणों के कारण आर॰ टी॰ आई॰ कार्यकर्त्ता रामबिलास सिंह की हत्या करने का इनलोगों ने मिलकर षड़यंत्र एवं साजिश रचा तथा हत्या का साजिश रचने में मृत्युंजय सिंह, नीतेश सिंह, रजनीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। अनु0पु0पदा0 ने इस कांड को अप्रा0अभि0 1-मृत्युंजय सिंह, पे0-जनार्दन प्रसाद सिंह, 2-रजनीश कुमार सिंह उर्फ रजनीश कुमार, पे0-रामानुज प्रसाद सिंह, 3-नीतेश सिंह, पे0-धीरज सिंह, सा0-बभनगांमा थाना व जिला लखीसराय के विरूद्ध सत्य प्रतीत होने तथा इस हत्या के साजिश में अन्य की भी संलिप्तता की संभावना बतलाते हुए अभियोजन साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए साक्षियों का धारा-164/दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय में बयान दर्ज कराना न्यायोचित बतलाया है।

इस कांड में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा कांड दैनिकी सं0-16, दिनांक-29.1.13 तक समर्पित किया गया है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस कांड के वर्तमान अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, जितेन्द्र कुमार, लखीसराय थाना हैं। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अनु0पु0पदा0 का जांच प्रतिवेदन ज्ञापांक-01/13 दि0-4.1.13 को विस्तृत रूप में दैनिकी में अंकित किया गया है(पारा-78) अनुसंधानकर्त्ता द्वारा साक्षी सचितानंद सिंह, राजेन्द्र पासवान, रामाशीष सिंह, संजय सिंह, सुधीर सिंह, शैलेन्द्र सिंह का xxxxxxx बयान माननीय न्यायलय में कराते हुए धारा-164/दं0प्र0सं0 का बयान दैनिकी में अंकित किया गया है जिसमें उपरोक्त सभी साक्षियों द्वारा आर॰ टी॰ आई॰ कार्यकर्त्ता रामबिलास सिंह की हत्या में शामिल अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इस कांड में नीतेश सिंह, मृत्युंजय सिंह, रजनीश कुमार सिंह की भी संलिप्तता का साक्ष्य दिया है जो कांड दैनिकी के पारा-83,84,85,94,95,96 में अंकित किया गया है।

अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के सत्यापन के संबंध में कांड दैनिकी के पारा-103 में उल्लेख किया है जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि रौशन सिंह जो एक कुख्यात एवं पेशेवर अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी के समय उसके पास से एम॰ टी॰ एस॰ का 8434588986 सीम बरामद किया गया था और रजनीश कुमार का मो0 नं0-9431251571 पर रौशन सिंह के फरार रहने की स्थिति में लगातार सम्पर्क होता रहा है। तथा बातचीत की जाती रही है। गिरफ्तारी के बाद रौशन सिंह एवं संजीव पाण्डेय एक ही वार्ड में रहे तथा अवैध रूप से मो0 नं0-8804871610 रखकर लगातार रजनीश कुमार एवं अन्य षड़यंत्रकर्त्ता जिसके नाम आये हैं लगातार सम्पर्क में रहे तथा लंबी बातचीत करते रहे। (धारा-103)

अतः अनुसंधानकर्त्ता को आदेश दिया जाता है कि इस कांड के अप्रा0 अभि0 1-मृत्युंजय सिंह, 2-रजनीश कुमार, 3-नीतेश सिंह को अविलम्ब गिरफ्तार करें तथा फिरारी की स्थिति में कुर्की जप्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करें। अनु0पु0पदा0 की जांच-सह-प्रगति प्रतिवेदन में दिये गये सभी निर्देशों का अनुपालन शीघ्रता से पूरा करते हुए अद्यतन कांड दैनिकी समर्पित करें। सभी अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का पता कर दैनिकी में अंकित करें। अद्यतन कांड दैनिकी समर्पित करें। उपा0/पु0नि0, अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अगला प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करें।

अनुसंधान जारी है। अगला प्रतिवेदन दिया जायेगा।

प्रा0अभि0-3, अप्रा0-5 (आ॰पत्र-5, फरार-3)
सी0डी0-16, पृष्ठ- दि0-29.1.13
अ0क0-अ0नि0, जीतेन्द्र कुमार,
म नि/उ म नि/अ अ वि/उपा/अ नि/अंक॰

01/02/13

पुलिस अधीक्षक, लखीसराय।